

The Jharkhand Mineral Holding Land Cess Act, 2024

Act No. 10 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.





झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश<u>िवन, 1946 (श॰</u>)

संख्या - 625 राँची, सोमवार,

7 अक्टूबर, 2024 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2024

संख्या-एल0जी0-08/2024-58/लेजo, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-26/09/2024 को अनुमित दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

" झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 (झारखण्ड अधिनियम- 10, 2024)

विषय सूची

- 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
- 2- परिभाषाएँ
- 3. खनिज धारित भूमि उपकर की वस्ली और संग्रहण
- 4. इस अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यम्

- 5. उपकर का निर्धारण और भ्गतान
- 6. अपील
- 7. पुनरीक्षण
- 8. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाने वाला शुल्क
- 9. छूट
- 10. अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियाँ
- 11. नियम बनाने की शक्ति
- 12. अन्य कानूनों के तहत धारक की देनदारी प्रभावित नहीं।
- 13. सदभावना पूर्वक की गयी कारवाई
- 14. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन
- 15. कठिनाइयों को दूर करनें निदेश जारी करने की शक्ति

झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु अधिनियम।

खनिज धारित भूमि पर उपकर लगाने हेतु एक अधिनियम जिससे झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सेवाशिक्षा. सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ कृषि ग्रामीण आधारभूत संरचना पेयजल एवं स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक उद्धेष्यों की पूर्ति हो सके।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-
 - (1) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम,, 2024 (Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Act, 2024) कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाषन की तिथि से प्रवृत होगा।
- 2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ इसका कोई अन्य अर्थ न रखे:-

- (1) ''खनिज /kkfjr भूमि (जिसमें कोयला /kkfjr भूमि भी शामिल है) का वार्षिक मूल्य'', I S VFkZहै, i f"kr खनिज dk ell; (जिसमें कोयला भी शामिल है), जैसा कि अनुसूचीमें निर्दिष्ट है।
- (2) "i kf/kdkj" का अर्थ है i kf/kdkj] जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित fd; s x; s g\$
- (3) "उपकर" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाया गया उपकर, जो धारा-4 में i ko/ktur किए गए उद्देश्यों के लिए है;
- (4) ''i ぱk.k'' का अर्थ है ऐसे रन-ऑफ-माइन/खनिज का धारक द्वारा किसी स्थान पर खनिज /kkfj r भूमि से बाहर i ぱk.k, जैसा कि इस अधिनियम की संलग्न अनुसूचीमें निर्दिष्ट है;
- (5) "कोष" का अर्थ है, एक कोष जो उपकर की आय जमा करने के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, तािक इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा किया जा सके; और इसे निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा;
- (6) ''सरकार'' का अर्थ है झारखंड राज्य सरकार;
- (7) ''शासी निकाय'' का अर्थ है , **si kf/kdkjka dk** , d fudk; , जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित किया गया है , 00 जैसा fofgr किया गया है;
- (8) "धारक" का अर्थ है खनिज /kkfjr भूमि का खनन i VVk या [kgyh [kku i VVk या ∨Vošk.k ∨ukflr; k ivo kflr धारक;
- (9) ''खनिज /kkfjr भूमि (जिसमें कोयला /kkfjr भूमि भी शामिल है)'' का अर्थ है भूमि ; k Hkflevka dk /kkj.k जिसमें og Hkfle 'kkfey g\ftlij खनिज और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला धारण क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोयला खदानों
- (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत खनन i V∜k या खुली खान अनुमति पत्र या अन्वेषण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टा खनिजों संबंधी अधिकार के लिए आवंटित या स्वीकृत हो या स्वतः स्वीकृत माना गया हो;
- (10) ''खिनज उत्पाद'' का अर्थ है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खिनज का उत्पाद,
- (11) "खिनज अधिकार" का अर्थ है खनन और खिनज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोिकंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत खनन पट्टे या खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत पट्टेदार या डीम्ड पट्टेदार को प्रदत्त या नवीनीकृत अधिकार;
- (12) "अधिसूचना" का अर्थ राज्य की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (13) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

- (14) "धारा" का अर्थ इस अधिनियम के तहत धारा/धाराएँ है;
- (15) "राज्य" का अर्थ है झारखंड राज्य;
- (16) "अनुसूची" का अर्थ है कि इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची तथा

इस अधिनियम में शब्द और भाव जो प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं उनका अर्थ वही होगा जो संबंधित खनिज अधिनियम और सभी संबंधित नियमों में परिभाषित है।

- 3. खनिज /kkfjr भूमि उपकर की वसूली और संग्रहण-
 - (1) खनिज /kkfjr भूमि उपकर, [kfut /kkfjr Hkwie dsokf"kkd eW; ij लगाई जाएगी (जिसमें कोयला /kkfjr भूमिभी शामिल है), oabl dk l xzg.k /kkjk&5 dsvu kj fd;k tk, xkA
 - (2) उपकर की आय को राज्य के **l apr fuf/k** कोष में जमा किया जाएगा और इसे झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा।
 - (3) "fuf/k" के प्रबंधन के तरीके और प्रक्रियाएँ सरकार द्वारा निर्धारित या निर्दिष्ट की जाएंगी।
 - (4) उपधारा (1) के तहत लगाया गया उपकर झारखंड राज्य सरकार के खनन और भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।
- 4. इस अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यम् –

इस प्रकार संग्रहित कोष की आय को राज्य के **l á**pr fuf/k में tek किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:-

- (1) स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
- (2) सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए।
- (3) ग्रामीण Vk/kkj Hkr l jpuk के निर्माण और संवर्धन के लिए सड़कें, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली आदि।
- (4) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए, जिसमें किसानों dk dY; k.k शामिल gks।
- (5) अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- 5. उपकर का निर्धारण और भुगतान-
 - (1) इस अधिनियम के तहत देय उपकर का निर्धारण धारा 3 के विनियमों और इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, fofgr ikf/kckj द्वारा किया जाएगा।

(2) खनिज /kkj.k djusokysHkfe ij midj dhjkf'k ,ssnj ½njkf½ij] tksfufnŽV dh tk ldrh g\$ /kkjd }kjk ,ssju&vkfD&ekbZu@[kfut dhek=k ij nş gkskh] tks,sss ju&vkfD&ekbZu dsišk.k dsle; cukbZx;hFkhA

"(3) यदि धारक बिना किसी शुल्क के रन-ऑफ-माइन/खिनजों को भेजता है, या जैसा भी मामला हो, शुल्क की देनदारी के आकलन में किसी भी परिवर्तन के लिए, अधिसूचित प्राधिकारी धारक को शुल्क की देनदारी के भुगतान के लिए नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय शुल्क के ऐसे मूल्य पर प्रति माह या उसके किसी भाग पर 5% से Vuf/kd की दर से ब्याज के साथ, ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

व्याख्या- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ''देय शुल्क'' का अर्थ होगा किसी भी शुल्क का जो धारा 3 के तहत देय है, लेकिन निर्धारित देय तिथि के बाद नहीं चुकाया गया है, और साथ ही नोटिस ऑफ डिमांड की समाप्ति के बाद, जैसा कि इस धारा के तहत जारी किया गया है।

(4) इस अधिनियम के तहत धारक के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए; धारक का अर्थ खनिज अधिकार का धारक है अर्थात खनन या [kg/h खनन पट्टा या खनिज /kkfj r भूमि के लिए i w kk.k लाइसेंस या i w kk.k लाइसेंस, खान एवं खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला /kkfj r क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खानों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; और पट्टेदार/मानित पट्टेदार/जो आवंटित हैं वे अपने संबंधित खनन कानूनों के तहत पहले से पंजीकृत हैं, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से लागू होंगे।

6. अपील: -

कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 dh mi /kkjk&4 के तहत नोटिस ऑफ डिमांड से प्रभावित है, वह उक्त नोटिस के rkfeyk की तिथि से साठ (60) दिन के भीतर, ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जैसा कि fofgr किया जा सकता है और उक्त प्राधिकृत प्राधिकारी अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, और जो धारा 5 के प्रावधानों के अधीन अंतिम हो सकता है, vare gks tk, xkA

7. पुनरीक्षण: -

सरकार, या तो Lo&i j .kk या किसी i htmr द्वारा धारा 6 के तहत पारित आदेश के fo:) i htmr 0; fDr }kjk 90 fnuks ds vlnj पुनरीक्षण याचिका की प्राप्ति पर, किसी अधिकारी या प्राधिकरण tks bl vf/kfu; e ds rgr fofgr fd; s x; s gkj ds द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश या कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग कर सकती है और उसकी जांच कर सकती है, ताकि वे उन आदेशों dh 'kū) rk; k l (prk के विषय में संतुष्ट हो सकें या ऐसे कार्यवाही की नियमितता के विषय में और यदि किसी मामले में सरकार को लगता है कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को संशोधित, खत्म, पलटा या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, तो वे उसके अनुसार आदेश पारित कर सकते हैं: यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर नहीं दिया गया हो।

8. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाने वाला शुल्क-

इस अधिनियम के तहत धारा 5 के अनुसार देय और/या निर्धारित शुल्क, tksनिर्दिष्ट और/या निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया गया, उसे इस अधिनियम के तहत fofgr fd; s x; s i kf/kdkj }kjk भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वस्ला जाएगा।

9. <mark>छूट</mark>:-

इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां सरकार का विचार है कि यह जनहित में आवश्यक या उपयुक्त है, वह 'kkl dh; jkti = में सूचना द्वारा, किसी धारक या किसी धारक की श्रेणी के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से शुल्क से छूट दे सकती है जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जा सके।

- 10. अनुसूचीमें संशोधन करने की शक्तियाँ-
- 1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के l kFk l ay Xu vu (poh ds fd l h o Lrq; k nj dks tkM+l drsgS; k gVk l drsgS; k l ákks/kr ; k i fjofr r dj l drsgS.
 - 2) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे परिपत्र या निर्देश या विनियम जारी कर सकती है।
- 11. नियम बनाने की शक्ति: -
- (1) सरकार, 'kkl dh; jkti = में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्
 - i. प्राधिकृत प्राधिकारी जो धारा 3 के तहत शुल्क या धारा 5 के तहत ब्याज लगा सकते हैं और जिस तरीके से इस अधिनियम के तहत लगाया गया शुल्क वसूला जाएगा;
 - ii. शासी निकाय की संविधान और कार्य, इसके सदस्यों की अविध और इसके व्यवसाय । pkyu करने की प्रक्रिया;
 - iii. जिस तरीके से खिनज-bearing भूमि पर या धारक के कार्यालय में खाता रखा जाएगा और रजिस्टर बनाए जाएंगे।
 - iv. इस अधिनियम के तहत लगाए गए शुल्क का आकलन और संग्रह;
 - v. mi dj के भुगतान के लिए रसीद का स्वरूप; और
 - vi. कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (3) इस धारा के तहत बनाए गए नियम ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित सीमा तक दंड का प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्
 - i. शुल्क से बचने या बचने की स्थिति में, बची हु ईराशि की दोगुनी के बराबर;

इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के बाद जिनती जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब यह सत्र चल रहा हो, कम से कम चैदह दिनों की अविध के लिए रखे जाएंगे, जिसमें एक दिन शामिल हो सकता है। सत्र या दो क्रमिक सत्रों में और यदि उन सत्रों की समाप्ति से पहल जिनमें वे रखे गए हैं या राज्य विधानमंडल के सदन के तुरंत बाद के सत्र में ऐसे किसी भी नियम में कोई संषोधन करता है या संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, इसके बाद ऐसे नियम केवल ऐसे संषोधित रूप में ही प्रभावी होगें या कोई प्रभाव नहीं डालेंगें, जैसा भी मामला हो, हालांकि, ऐसा काई भी संषोधन या रद्दीकरण उसके तहत पहले की गयी किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना होगा।

- 12. अन्य कानूनों के तहत धारक की देनदारी प्रभावित नहीं रू इस अधिनियम में शामिल कुछ भी, इस अधिनियम के तहत उपकर के भुगतान के लिए धारक की देनदारी को उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत प्रभावित नहीं करेगा।
- 13. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई:- ऐसे प्राधिकारी या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सद्भावपूर्वक किए गए या कथित रूप से किये जाने वाले या किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में निर्धारित प्राधिकारियों या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

14. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन -

किसी भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) के पास राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत किसी भी शक्ति के अनुश्रण में किए गए किसी भी कार्य, की गयी कार्रवाई, किये गये आदेष, निर्देष या इसके कार्यों के संबंध में निर्देष या जारी किए गए दिषा-निर्देषों के संबंध में किसी भी मुकदमें या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

15. कठिनाइयों को दूर करने/निर्देष जारी करने की शक्तिरुक्

यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्धेष्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत कुछ भी कर सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। बषतें, ऐसी कठिनाई को दूर करने का कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारिख से दो वर्षों अविध समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

देखें [श्वारा&2 एवं धारा&31/41/]

| क्रम सं0 | [kfut /kkfjr kkale का प्रकार | l ¶ की दर* |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | dk; yk /kkfjr भ्मि | प्रति मीट्रिक टन कोयले के i ٌ k.k के लिए रु॰ 100/- |
| 2 | ykfy v; Ld /kkfjr Hkfie | प्रति मीट्रिक टन yký v; Ld के i kk.k के लिए रु॰ 100/- |
| 3 | बॉक्साइट /kkfjr भूमि | प्रति मीट्रिक टन बॉक्साइट के i bk.k के लिए रु॰ 70/- |
| 4 | pwkiRFkj /kkfjr भ्मि | प्रति मीट्रिक टन pwki RFkj के i ばk.k के लिए रु॰ 50/- |
| 5 | मैंगनीज v;Ld /kkfjr भूमि | प्रति मीट्रिक टन मेंगनीज V; Ld ds i फ्रैk.k के लिए रु॰ 50/- |
| 6 | कोई अन्य [kfut /kkfjr भूमि | प्रति टन [kfut के i kk.k पर दी गई रॉयल्टी का 50% |

- 1. *[kfutksका नाम] जैसा कि [kku ,oa[kfut ¼fodkl ,oafofu;eu½∨f/kfu;e] 1957 ¼dЫnh; ∨f/kfu;e 67 of 1957½ds∨u≬ ph&ii dsrgr fofufn½V gS¼ogr [kfut¼A
- 2. | ¶ की दर उनके ग्रेड गुणों | Sfuji (k हैं।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश शरण सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2024

संख्या-एल0जी0-08/2024-59/लेजo--झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-26/09/2024 को अनुमत झारखंड खिनज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND MINERAL BEARING LAND CESS ACT, 2024 (Jharkhand Act, 10, 2024)

Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Bill 2024

An Act, to enact **JHARKHAND MINERAL BEARING LAND CESS ACT, 2024**, in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

An Act to provide the levy of cess on mineral bearing land for augmenting health care services, education, social security services, agriculture, rural infrastructure, drinking water and sanitation and for other necessary purposes in the state of Jharkhand.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventy fifth year of the Republic of India as follows: -

- 1. Short title, extent and commencement: -
 - (i) This Act may be called the Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Act, 2024.
 - (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
 - (iii) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.
- 2. **Definitions**: -In this Act, unless the context otherwise requires: -
 - (1) "Annual value of mineral bearing land (including coal bearing land)" means value of mineral (including coal) dispatched as specified in the schedule.
 - (2) "Authorities" means the authorities as prescribed to carry out the purposes of this Act;
 - (3) "Cess" means the cess levied under section 3 of this Act, for the purposes provided in section-4;
 - (4) "Dispatch" means dispatch of such Run-of-mine/minerals as specified in the Schedule appended to this Act, by the holder to any place outside the mineral bearing land;
 - (5) "Fund" means, a fund created for the purposes of depositing the proceeds of cess as to carry out the purposes as specified in Section 4 of this Act; and shall be utilised in the manner as prescribed;
 - (6) "Government" means the State Government of Jharkhand;
 - (7) "Governing Body" means a body of such authorities, as constituted by the State Government to carry out the purposes of this Act, as prescribed;

- (8) "Holder" means the holder of mining or quarry lease or exploring license or prospecting license of the mineral bearing land(s);
- (9) "Mineral Bearing Land (Including Coal Bearing Land)" means holding or holdings of land comprising the area of a land either allocated or granted or deemed to be granted for mineral right i.e. mining or quarry lease or exploring license or prospecting license or petroleum mining lease under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;
- (10) "Mineral Produce" means a produce of mineral specified in the Schedule, appended to this Act;
- (11) "Mineral Right" means rights conferred on a lessee/deemed lessee under a mining lease or quarry lease or exploring license or prospecting license or petroleum mining lease granted or renewed under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;
- (12) "Notification" means a notification as published in the Official Gazette of the State;
- (13) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (14) "Section" means the section(s) under this Act
- (15) "State" means the State of Jharkhand;
- (16) "Schedule" means the Schedule appended to this Act; and Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as defined in all the respective Minerals Act(s) and all the respective Rules.
- 3. Levy and collection of cess on mineral bearing land-
 - (1) The Mineral bearing land cess shall be levied on the annual value of mineral bearing land (including coal bearing land) and collected in terms of S. 5 hereunder.
 - (2) The proceeds of the Cess shall be credited into the Consolidated fund of state and shall be utilized for the identified sectors as may be decided by Government of Jharkhand from time to time.
 - (3) The manner and the procedures for managing the "**Fund**", shall be specified or prescribed by the Government.

(4) The cess levied under sub-section (1) shall be collected by Department of Mines and Geology, Government of Jharkhand as may be prescribed.

4. Purposes and objectives of this Act-

The proceeds of the fund so collected shall be credited into consolidated fund of state, which shall be used for the following purposes: -

- (1) to augment health care services, school and higher education.
- (2) to augment social security services.
- (3) to construct and augment Rural infrastructure- Roads, Rural housing, Drinking water, Sanitation, Electricity etc.
- (4) to develop Agriculture and allied sectors including farmers' welfare.
- (5) Other necessary purposes as notified by Government from time to time.

5. **Determination and Payment of Cess-**

- (1) The cess payable under this Act shall be assessed in accordance with the provisions of section 3 and the Rules made thereunder, by the prescribed authority.
- (2) The amount of cess on mineral bearing land at such rate(s) as may be specified shall be payable by the holder on the quantity of such Run-of- mine/minerals as made at the time of dispatch of such Run-of- mine/minerals from mineral bearing land by such date as prescribed.
- (3) In case where the holder dispatches the Run-of-mine/minerals without payment of cess, or as the case may be any variation in the assessment of cess payable, the prescribed authority shall cause to issue a notice of demand served upon the holder for payment of the cess due along with an interest at the rate of not exceeding 5% per month or part thereof on such value of cess due, in such manner as may be prescribed.

Explanation- The words, "cess due"; for the purpose of this Act shall mean any cess payable under section 3, but not paid after the prescribed due date, and also after expiry of such date, as provided in notice of Demand as issued under this section.

(4) For the purpose of registration of the holder, under this Act; the holder means holder of mineral right i.e. mining or quarry lease or exploring license or prospecting license of the mineral bearing land(s) under the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal

Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959; and lessee/deemed lessee/allocated under which they are already registered under the respective mining laws for the time being in force, shall apply mutatis mutandis for the purpose of this Act.

6. Appeal: -

Any person aggrieved by the notice of demand under section 5, may, within sixty (60) days from the date of service of the said notice under sub-section (4) of section 5 thereof, appeal to such authority as may be prescribed and the said authority may pass such orders on the appeal as it thinks fit, and which may be, subject to the provisions of section 5, become final.

7. Revision: -

The Government may, either suo-moto or on receipt of a revision petition filed within ninety days by any person aggrieved by an order passed under section 6, call for and examine the record relating to any order passed or proceedings taken by any officer or authority under this Act as may be prescribed, for the purpose of satisfying themselves as to the correctness, legality or propriety of such order(s) or as to the regularity of such proceedings and if in any case it appears to the Government that such order or proceedings should be modified, annulled, reversed or remanded for reconsideration, they may pass orders accordingly:

Provided that no order adversely affecting any person, shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

8. Cess to be recovered as arrear of land revenue-

The cess due payable and or determined under section 5 of this Act, but not paid within the specified and or prescribed time under this Act, shall be recovered as arrears of land revenue by the authority under this Act as may be prescribed.

9. Exemptions: -

Notwithstanding anything contained in this Act, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may by notification in the Official Gazette, exempt cess, fully or partially, in respect of any holder or any class of holder as may be specified in the notification.

10. Powers to amend the Schedule-

- 1) The State Government may, by notification, add to or delete or amend or alter any of the items or rate(s) in the Schedule appended to this Act.
- 2) The Government may issue such circulars or directions or regulations to carry out the purposes of this Act.

11. Power to make Rules: -

- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make Rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely
 - i. The authorities which may impose cess under section 3 or interest under Section-5 and the manner in which the cess levied under this Act shall be

collected;

- ii. The constitution and functions of the Governing body, the term of office of its members, and the procedure for the conduct of its business;
- iii. The manner in which accounts shall be kept and registers to be maintained by the holder at the Mineral Bearing Land or at the office the holder.
- iv. the assessment and collection of the cess levied under this Act;
- v. The form of receipts for payment of the cess; and
- vi. Any other matter that may have to be prescribed.
- (3) The Rules made under this section may provide penalty for contravention of such provisions of this Act to the following extent, namely:
 - i. in cases of evasion or avoidance of cess, to the extent of double the amount of cess evaded or, as the case may be, avoided;

All Rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which they are so laid or in the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

12 Liability of the holder under other laws not affected: -

Nothing contained in this Act, shall affect the liability of the holder for the payment of cess under this Act, to that of under any other law(s) for the time being in force.

13 Action taken in good faith. —

No suit or prosecution or other proceeding shall lie in any court against the prescribed authorities or any officer or employee of the State Government, in respect of any work done or purported to have been done or intended to be done in good faith by such authority or Government or such officer or employee under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

14 Bar of jurisdiction of court. —

No court (except the Supreme Court or a High Court) shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done, action taken, orders made, direction, instruction or guidelines issued by the State Government in pursuance of any power conferred by, or in relation to its functions, by this Act.

15 Power to remove difficulties/issue directions: -

If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act the Government may, by general or special order, do anything not inconsistent with provisions of this Act for the purpose of removing the difficulty and issue necessary directions.

Provided, no order of removal of such difficulty shall be made after the expiry of the period of two years from the date the commencement of this Act.

THE SCHEDULE

(See sections- 2 and Section- 3(1))

| S.Nos. | Classification of Mineral bearing land | Rate of Cess* |
|--------|--|---|
| 1 | Coal bearing land | Rs. 100/- per metric tonne of coal dispatch |
| | Iron ore bearing land | Rs. 100/- per metric tonne of Iron ore dispatch. |
| | Bauxite bearing land | Rs. 70/- per metric tonne of bauxite dispatch. |
| 4 | Limestone bearing land | Rs. 50/- per metric tonne of limestone dispatch. |
| 5 | Manganese ore bearing land | Rs. 50/- per metric tonne of manganese ore dispatch. |
| 6. | Any other mineral bearing land | 50% of the royalty paid on the dispatch of mineral per tonne. |

- * 1. Name of Minerals as specified in the Second Schedule under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957) (Major Minerals).
- 2. Rates of cess are irrespective of their Grade/Properties.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश शरण सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची।
